

# मध्यप्रदेश पटवारी संघ

**उपेन्द्र सिंह बाघेल**

प्रान्ताध्यक्ष म.प्र. पटवारी संघ भोपाल  
पानी सेंकी के पास दक्षिण कर्तविया  
जिला-सीधी (म.प्र.) मो. - 9893765596  
Email : baghel.upendra@yahoo.in  
mppatwarisanghbhopal@gmail.com



**धर्मेन्द्र शर्मा**

महामंत्री म.प्र. पटवारी संघ भोपाल  
268, अम्बिकपुरी एक्स, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.)  
मो. 94245-51455, 78930-51455  
Email : dharmendra4528@gmail.com

क्रमांक 0321/पट. संघ/2026 भोपाल

दिनांक 27/03/2026

प्रति,

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय,  
मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
2. माननीय राजस्व मंत्री महोदय,  
मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. श्रीमान प्रमुख सचिव राजस्व महोदय,  
मंत्रालय वल्लभ भवन मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय :- प्रदेश के नवनियुक्त पटवारियों को 70%, 80% एवं 90% स्टायपेंड के स्थान पर 100% मूलवेतन स्वीकृत किये जाने बावत्।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश के. सी. 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12/12/2019 तथा रिट पिटीशन कं. 12125/2021, 6603/2023 एवं 13195/2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/01/2026 के संबंध में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर क्रमांक A 1031 III-18-188/76 जबलपुर, दिनांक 26 मार्च, 2026 का पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पत्र में उल्लेखित रिट पिटीशन कमांक 12125/2021 (वसीम अकरम व अन्य वि. म.प्र.शासन एवं अन्य) एवं संबद्ध रिट पिटीशन कमांक 6603/2023 एवं रिट पिटीशन कमांक 13195/2023 में पारित आदेश दिनांक 06/01/2026 एवं म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ के मांग पत्र दिनांक 13/01/2026 की छायाप्रतियाँ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश शासन की ओर प्रेषित किया हैं। जिसके अनुसार शासकीय नवनियुक्त कर्मचारियों को 70%, 80% एवं 90% स्टायपेंड के स्थान पर 100% मूलवेतन स्वीकृत किये जाने का निर्देश प्रदान किया है।

निरंतर पृष्ठ क्रमांक...02 पर

# मध्यप्रदेश पटवारी संघ

## उपेन्द्र सिंह बाघेल

प्रान्ताध्यक्ष म.प्र. पटवारी संघ भोपाल  
पानी सोंकी के पास दक्षिण करीदिया  
जिला-सीधी (म.प्र.) मो. - 9893765596  
Email : baghel.upendra@yahoo.in  
mmpatwarisanghbhopal@gmail.com



## धर्मेन्द्र शर्मा

महामंत्री म.प्र. पटवारी संघ भोपाल  
268, जयिजपुरी एक्स, एयरपोर्ट रोड, इन्दीर (म.प्र.)  
मो. 94245-51455, 76930-51455  
Email : dharmendra4528@gmail.com

क्रमांक 0321/पट. संघ/2026 भोपाल

--2--

दिनांक 27/03/2026

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि, उक्त पत्र के तारतम्य में उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के पालन में प्रदेश के नवनियुक्त पटवारियों को 100 प्रतिशत मूल वेतन प्रदान करने संबंधित आदेश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :- संदर्भित उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र की प्रति।

उपेन्द्र सिंह बाघेल  
प्रांताध्यक्ष  
म.प्र.पटवारी संघ भोपाल

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक

A/1031  
III-18-188/76

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च, 2026

प्रति,

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
विधि और विधायी कार्य विभाग,  
विध्यालय भवन, प्रथम तल,  
भोपाल (म.प्र.)

**विषय :-** नवनियुक्त कर्मचारीगण को 70%, 80% एवं 90% स्टायपेंड के स्थान पर 100% मूलवेतन स्वीकृत किये जाने बावत्।

**संदर्भ :-** म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश कं. सी. 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12/12/2019 तथा रिट पिटीशन कं. 12125/2021, 6603/2023 एवं 13195/2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/01/2026।

महोदय,

यथानिर्देश, उपरोक्त विषयांतर्गत रिट पिटीशन क्रमांक 12125/2021 (वसीम अकरम व अन्य वि. म.प्र.शासन एवं अन्य) एवं संबद्ध रिट पिटीशन क्रमांक 6603/2023 एवं रिट पिटीशन क्रमांक 13195/2023 में पारित आदेश दिनांक 06/01/2026 एवं म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ के मांग-पत्र दिनांक 13/01/2026 की छायाप्रतियाँ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(मुकेश रावत)

रजिस्ट्रार [जिला स्थापना]

पृष्ठा.क्रमांक

A/1032  
III-18-188/76

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च, 2026

प्रतिलिपि :-

श्री संजय सुरीठिया, प्रांताध्यक्ष, म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय परिसर, टीकमगढ़ एवं श्री नीरज श्रीवास्तव, प्रांतीय महासचिव, म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय परिसर, भोपाल द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र दिनांक 13/01/2026 (विषय:-नवनियुक्त कर्मचारीगण को 70%, 80% एवं 90% स्टायपेंड के स्थान पर 100% मूलवेतन स्वीकृत किये जाने संबंधी) के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।



(मुकेश रावत)

रजिस्ट्रार [जिला स्थापना]